

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में लेटरल एण्ट्री के माध्यम से
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को
डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष / तृतीय सेमेस्टर में
प्रवेश हेतु प्रवेश नियम
सत्र 2018-19

1.	शासकीय (Government) क्षेत्र के अंतर्गत (अ) मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 1-7
2.	निजी (Private) क्षेत्र के अंतर्गत (अ) निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 8-14
3.	विभिन्न प्रारूप	पृष्ठ 15-21
4.	परिशिष्ट-एक : पाठ्यक्रमों की समतुल्यता	पृष्ठ 22-23
5.	परिशिष्ट-दो : पोलीटेकनिक संस्थाएं एवं सीटों की संख्या	पृष्ठ 24-36

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

लेटरल एन्ट्री (आई.टी.आई. से डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु)

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष/तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के नियम

सत्र : 2018–19 (पाठ्यक्रम संचालन जनवरी 2019 से)

1.1 सामान्य :

ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष/तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु लेटरल एन्ट्री प्रवेश नियम कहलायेंगे ।

1.2 परिभाषाएं:—

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: —

1. श्रेणी: का तात्पर्य है इन चार श्रेणी में से एक उदा. अनारक्षित (UR) अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC)
2. सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.) का तात्पर्य है जिसको मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है.
3. प्राचार्य: का तात्पर्य है संस्था प्रमुख.
4. मध्यप्रदेश (म.प्र.) का तात्पर्य है म.प्र. राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया.
5. अ.भा.त.शि.प. : का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली.
6. "व्यावसायिक संस्थान" से अभिप्रेत है ऐसी संस्थाएँ जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, फार्मसी तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संधारित करती है;
7. संचालक का तात्पर्य है संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल.
8. कुलपति का तात्पर्य है कुलपति राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल.
9. "OP" सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरुष अभ्यर्थी.
10. "F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी.
11. "म.प्र सीट" से अभिप्रेत है कि मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के आरक्षित सीटें

1.3 ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा

स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में के तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे ।

1.4 प्रवेश नियम—

1.4.1 उपलब्ध सीटें :

विभिन्न पोलिटेकनिक संस्थाओं के गतवर्ष की प्रवेश क्षमता के अधिकतम 20 प्रतिशत सीटें अधिसंख्य आधार पर लेटरल एन्ट्री योजनान्तर्गत तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध रहेंगे। ये सीटें केवल मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध होंगी।

1.4.2 सीटों का आरक्षण :

शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा स्वशासी घोषित तथा अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों में मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अनु.जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिए शासन के नियमानुसार क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा।

टीपः—

(अ)विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से अभ्यर्थी केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है ।

(ब)जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो अभ्यर्थी को उससे संबंधित प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

1.4.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी

ऐसा अभ्यर्थी जो म0प्र0 की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप-1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7/2/96/अ.प्र./एक दिनांक 1 अगस्त 1996 देखें ।)

1.4.2.2 अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) :—

ऐसा अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत

करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र **30 अप्रैल 2015** के पूर्व जारी किया गया हो तो अभ्यर्थी को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र (**प्रारूप-5**) परामर्श के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक दिनांक 12 मार्च 1997 देखें एवं आदेश क्रमांकएच-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06/07/2000)।

1.4.2.3 महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण:

स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में समस्त सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगी परन्तु सह शिक्षा पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक श्रेणी एवं वर्ग के अंतर्गत 30 प्रतिशत सीटों का "कम्पार्टमेंटलाइज्ड" क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध होगा।

किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उस वर्ग की पात्रता के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी/वर्ग में समायोजित नहीं किये जावेंगे।

1.5 प्रवेश हेतु पात्रता:

1.5.1 प्रवेश के लिये पात्रता एआईसीटीई तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार होगी।

1.5.2 अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

1.5.3 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष मे लेटर ऐन्ट्री के माध्यम से प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड (परिशिष्ट-एक में दिये अनुसार) में दो/तीन वर्ष का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

1.5.4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण ऐसे छात्र/छात्राओं के जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो तथा उसमें स्वर्ण पदक पाया हो तो उसके द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के पाठ्यक्रम में जितने भी अंक प्राप्त किये हो उसके 10 प्रतिशत अंको का अधिभार देकर उसका मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। अभ्यर्थी को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित **प्रारूप-4** में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी:—प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा उत्तीर्ण औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्था के पाठ्यक्रमों के आधार पर उनके संबंधित डिप्लोमा ब्रांच में प्रवेश हेतु पात्रता परिशिष्ट—एक के अनुसार मान्य होगी।

1.5.5 वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकताएं:

शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों की सभी सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे अभ्यर्थी को पात्रता होगी:

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण-पत्र **प्रारूप-3** अनुसार अथवा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र **प्रारूप-3 (अ)** में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1.6 प्रवेश की रीति :

प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित अर्हता के आधार पर अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।

अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर एकीकृत योग्यता क्रम सूचियाँ (Common Merit Lists), के साथ-साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलियर को छोड़कर) (OBC) श्रेणियों के लिये अलग-अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। उपरोक्त पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

टिप्पणी:—

1. एक समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।
2. ऐसे अभ्यर्थी को जो खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक के कारण 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस अभ्यर्थी से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

1.7 प्रवेश की प्रक्रिया

ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया

(Online Offcampus Admission Procedure):

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

1.8 सामान्य जानकारियां:

1.8.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के संबंधित अर्हकारी परीक्षा के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के प्राप्तांको के आधार पर तैयार की गई मैरिट के आधार पर किये जावेंगे।

1.8.2 समस्त प्रवेश एकीकृत मेरिट सूची से काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित कर संचालनालय की काउंसिलिंग से संबंधित वेबसाइट (www.dtempcounselling.org या dte.mponline.gov.in) पर उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थियों को अलग से प्रवेश-पत्र नहीं भेजे जावेंगे।

1.8.3 मूल प्रमाण-पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण-पत्र वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।

1.8.4 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

1.8.5 सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेशित संस्था में मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन फीस की राशि देय होगी,

1.8.6 गंभीर बीमारी : यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने से परामर्श की नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है तथा यदि वह इस आशय का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से प्राप्त कर प्रस्तुत करते हैं, तब उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिये विभाग सक्षम होगा।

1.9 प्रवेश का क्रम :-

1.9.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों के पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति।

1.9.2 आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसिलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसिलिंग) प्रारंभ की जाएगी।

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

1.9.3 यदि अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

परामर्श (काउंसिलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसिलिंग सम्पादित की जावेगी।

1.10 प्रवेश का रद्द किया जाना:-

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अपना प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अंतिम प्रवेश की तिथि से 7 दिन पूर्व निरस्त कराता है तो संस्था में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि में

से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जाएगी तथापि परामर्श (काउन्सलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी।

(3) रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :-

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

1.11 शिक्षण तथा अन्य फीस :-

राज्य शासन द्वारा प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

1.12 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा तथा यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.13 मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.14 लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेशित विद्यार्थियों को एक उपसत्र (जनवरी से जून) में रेमेडियल विषयों का अध्ययन करना होगा जोकि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

1.15 क्षेत्राधिकार—

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में

सत्र 2018-19 के लिये प्रवेश नियम

लेटरल एन्ट्री (आईटीई से डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु)

मध्यप्रदेश में निजी क्षेत्र के पोलिटेकनिक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष/तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के नियम

सत्र 2018-19 (पाठ्यक्रम संचालन जनवरी 2019 से)

2.1 सामान्य :

ये नियम मध्यप्रदेश में निजी क्षेत्र के पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष/तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु लेटरल एन्ट्री प्रवेश नियम कहलायेंगे एवं "प्रवेश नियम-2008" अनुसार प्रभावी होंगे ।

2.2 परिभाषाएं:-

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: -

1. श्रेणी: का तात्पर्य है इन चार श्रेणी में से एक उदा. अनारक्षित (UR) अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC)
2. सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.) का तात्पर्य है जिसको मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है.
3. प्राचार्य: का तात्पर्य है संस्था प्रमुख.
4. मध्यप्रदेश (म.प्र.) का तात्पर्य है म.प्र. राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया.
5. अ.भा.त.शि.प. : का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली.
6. "व्यावसायिक संस्थान" से अभिप्रेत है ऐसी संस्थाएं जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, फार्मसी तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संधारित करती हैं;
7. संचालक का तात्पर्य है संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल.
8. कुलपति का तात्पर्य है कुलपति राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल.
9. "प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति
10. "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठ्यक्रम जिसकी नाम पद्धति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से

डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, एमबीबीएस,बीडीएस आदि)

11. "फीस" से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार
12. "सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या पोषित नहीं है;
13. "अर्हकारी परीक्षा" से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है
14. "एकल खिड़की प्रणाली" से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं
15. उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

2.3 ये नियम मध्यप्रदेश में निजी क्षेत्र के पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे ।

2.4 प्रवेश नियम-

2.4.1 उपलब्ध सीटें :

विभिन्न पोलिटेकनिक संस्थाओं के गतवर्ष की प्रवेश क्षमता के अधिकतम 20 प्रतिशत सीटें अधिसंख्य आधार पर लेटरल एन्ट्री योजनान्तर्गत तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध रहेंगे ।

2.4.2 सीटों का आरक्षण :

शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा स्वशासी घोषित तथा अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों में मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अनु.जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिए शासन के नियमानुसार क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा ।

टीप:-

(अ)विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से अभ्यर्थी केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है ।

(ब)जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो अभ्यर्थी को उससे संबंधित प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

2.4.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी

ऐसा अभ्यर्थी जो म0प्र0 की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप-1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7/2/96/अ.प्र./एक दिनांक 1 अगस्त 1996 देखें ।)

2.4.2.2 अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) :-

ऐसा अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र 30 अप्रैल 2015 के पूर्व जारी किया गया हो तो अभ्यर्थी को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र (प्रारूप-5) परामर्श के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक दिनांक 12 मार्च 1997 देखें एवं आदेश क्रमांकएच-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06/07/2000)।

2.5 प्रवेश हेतु पात्रता :

2.5.1 प्रवेश के लिये पात्रता एआईसीटीई तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार होगी।

2.5.2 अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

2.5.3 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में लेटरल एन्ट्री के माध्यम से प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड (परिशिष्ट-एक में दिये अनुसार) में दो/तीन वर्ष का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

2.5.4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण ऐसे छात्र/छात्राओं के जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो तथा उसमें स्वर्ण पदक पाया हो तो उसके द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के पाठ्यक्रम में जितने भी अंक प्राप्त किये हो उसके 10 प्रतिशत अंको का अधिभार देकर उसका मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। अभ्यर्थी को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित **प्रारूप-4** में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी:-प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा उत्तीर्ण औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्था के पाठ्यक्रमों के आधार पर उनके संबंधित डिप्लोमा ब्रांच में प्रवेश हेतु पात्रता परिशिष्ट-एक के अनुसार मान्य होगी।

2.5.5 वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकताएं :

मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह :-

1. भारत का नागरिक हो।

2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण-पत्र **प्रारूप-3** अनुसार अथवा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र **प्रारूप-3 (अ)** में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.6 प्रवेश की रीति :

प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित अर्हता के आधार पर अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।

अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर एकीकृत योग्यता क्रम सूचियाँ (Common Merit Lists), के साथ-साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलियर को छोड़कर) (OBC) श्रेणियों के लिये अलग-अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। उपरोक्त पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

टिप्पणी:-

1.एक समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।

2. ऐसे अभ्यर्थी को जो खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक के कारण 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस अभ्यर्थी से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

2.7 प्रवेश की प्रक्रिया

ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया

(Online Offcampus Admission Procedure):

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

2.8 सामान्य जानकारियां:

2.8.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के संबंधित अर्हकारी परीक्षा के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के प्राप्तांको के आधार पर तैयार की गई मैरिट के आधार पर किये जावेंगे।

2.8.2 समस्त प्रवेश एकीकृत मेरिट सूची से काउंसलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित कर संचालनालय की काउंसलिंग से संबंधित वेबसाइट (www.dtempcounselling.org) पर उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थियों को अलग से प्रवेश-पत्र नहीं भेजे जावेंगे।

2.8.3 मूल प्रमाण-पत्र

काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण-पत्र वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।

2.8.4 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

2.8.5 सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेशित संस्था में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन फीस की राशि देय होगी,

2.8.6 गंभीर बीमारी : यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने से परामर्श की नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है तथा यदि वह इस आशय का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से प्राप्त कर प्रस्तुत करते हैं, तब उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर

काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिये विभाग सक्षम होगा।

2.9 प्रवेश का क्रम :-

2.9.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों के पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति..

2.9.2 आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसिलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसिलिंग) प्रारंभ की जाएगी.

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी.

2.9.3 यदि अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

परामर्श (काउंसिलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसिलिंग सम्पादित की जावेगी।

2.10 प्रवेश का रद्द किया जाना:-

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अपना प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अंतिम प्रवेश की तिथि से 7 दिन पूर्व निरस्त कराता है तो संस्था में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जाएगी तथापि परामर्श (काउन्सलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी।

(3) रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :-

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

2.11 शिक्षण तथा अन्य फीस :-

राज्य शासन द्वारा प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

2.12 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा तथा यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

2.13 मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

2.14 लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेशित विद्यार्थियों को एक उपसत्र (जनवरी से जून) में रेमेडियल विषयों का अध्ययन करना होगा जोकि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

2.15 क्षेत्राधिकार—

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम वेबसाइट www.dtempcounselling.org /dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण-पत्र कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....
पिता / पति का नाम.....
निवासी ग्राम / नगर..... वि.खं..... तहसील.....
जिला..... संभाग..... के.....जाति /
जनजाति का / की सदस्य है और इस जाति / जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन
मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया
है और यहजाति / जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन)
अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित है।
अतः श्री / श्रीमती / कुमारी.....
पिता / पति का नाम.....अनुसूचित जाति / जनजाति का / की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी.....के परिवार
की कुल वार्षिक आय रूपए.....है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

- टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।
- (2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।
(अ) कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर / एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट
(ब) तहसीलदार
(द) परियोजना प्रशासक / अधिकारी, वृहद / मध्यम / एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी ग्राम/शहर..... तहसील..... जिला.....
..मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.....जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,आदिम जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चौवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमन्य किया गया है और सूची के क्रमांक..... पर अंकित है।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः
मध्य प्रदेश के जिला..... संभाग..... में
निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....
क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1- आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी.....
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये..... है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक..... को
प्रवजन कर चुका है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार
 टप्पा/तहसील..... जिला.....
 प्र.क्र वर्ष..... दिनांक.....
 स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

यहा आवेदक का
 पासपोर्ट साईज का
 फोटो लगाया जाये जो
 प्राधिकृत अधिकारी
 द्वारा सत्यापित
 किया जायें

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु.....
 पिता/पति.....निवासी.....
तहसील..... जिला.....
 (मध्यप्रदेश). राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास
 प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिये प्रभावशील ज्ञाप दिनांक..... में
 निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक
 की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2.* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन
 क्रमांक.....दिनांकके अधीन आवेदक द्वारा दिये विवरण
 अनुसार की पत्नी/अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के
 स्थानीय निवासी है:-

.....

टीप:- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र
 की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह.तहसील/नायब तहसीलदार
 तहसील.....
 जिला.....

*लागू न होने पर काट दें।

यह प्रमाण पत्र यदि डिजिटल हस्ताक्षर युक्त है तो उसे भी मान्य किया जावेगा

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र)

प्रारूप-3 (अ)

**स्थानीय निवासी हेतु
स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र
(अस्टाम्पित कागज पर)**

फोटो
स्व प्रमाणित

मैं..... आत्मज/पति श्री..... आयु लगभग
वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में
में निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नि का नाम श्रीमती एवं उम्र (लगभग).....
वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री-
 1. श्री/कु.....आयु (लगभग)..... वर्ष
 2. श्री/कु.....आयु (लगभग).....वर्ष
4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014 वर्णित निर्देश के अन्तर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)
 1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबरमोहल्ला..... ग्राम.....
तहसील..... जिला.....में वर्ष मैं पैदा हुआ/हुई
हूँ।
 2. मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला.....शहर.....तहसील.....
.....जिला.....में विगत 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हूँ।

(आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष निरन्तर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ-कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)

 3. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम कार्यालय का नामविभाग का नाम के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
 4. मैं मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत स्थापित.....नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में.....पद पर..... कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।

(कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें।

5. मैं केन्द्र शासन के विभाग में के पद पर
.....कार्यालय..... तहसील..... जिला..... के पद
पद 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।

(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)

6. मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष
बैंच) अधिकारी हूँ। पद पर
कार्यालय/मंत्रालय..... में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ
हूँ।

(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)

7. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक.....पद पर महामहिम
राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।

(पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)

8. मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक (अवधि.....) निवास
किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं। (इसकी
पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण संचालनालय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)।

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....आत्मज/पति श्री.....आयु..... वर्ष
निवासी सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा-पत्र की
कण्डिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं
विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई सारवान तथ्य छुपाया गया है और न ही
असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक
जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ
ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांकवर्ष को स्थान.....
..... में किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख घोषणा -पत्र में किया जाये)

राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले
खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/आत्मजा/श्री ने वर्षकी
..... में भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग नई दिल्ली द्वारा
मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर आयोजित
..... राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण
पदक अर्जित किया है ।

स्थान

दिनांक

संचालक

खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश
हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नोट :- ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नहीं माना जावेगा ।

**आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र
(सादे कागज पर)**

मैं..... आत्मज श्री..... आयु

वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ।
2. मेरी नाम से ग्राम में हैक्टयर/एकड़ कृषक भूमि है, जिससे मुझे रुपये.....शब्दों मेंकी वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसायहै, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये.....शब्दों मेंहै।
4. गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपयेशब्दों में है।
5. मेरे परिवार निम्नानुसार सदस्य हैं:-
1.....2.....3.....4.....5
(परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपयेशब्दों में.....है।
7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अथवा
8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग समय पूर्व एक आय प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र राशि.....रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....आत्मज/पति श्री.....आयु.....वर्ष, निवासीसत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे। सत्यापन आज दिनांकवर्ष को स्थान.....में किया गया।

हस्ताक्षर

परिशिष्ट-एक

List of Trades in ITIs & ITCs & Corresponding Courses/Branches of Polytechnics Colleges in which the candidate shall be entitled to take admission in Third semester after passing the Xth + (2 years ITI) examination

S.No.	Trades in ITIs & ITCs		Course/Branch in Polytechnics	
	Name of the Trade	Duration	Course/Branch	Duration
1	Draughtsman (Civil)	2 years	Civil Engg./ Construction Technology & Management/ Architecture & Interior Design/Architectural Assistantship	3 Years
2	Surveyor	2 years	Civil Engg./ Construction Technology & Management	3 Years
3	Mechanic Computer Hardware	2 years	Computer Science/ Computer Science & Engg./ Computer Hardware Maintenance	3 Years
6	Electrician	2 years	Electrical Engg./ Electrical & Electronics Engg.	3 Years
7	Mechanic (Radio & TV)	2 years	Electronic Tele. comm/ Electronics./ Electrical & Electronics Engg.	3 Years
8	Electronic Mechanic	2 years	Electronic Tele. comm/ Electronics/ Electrical & Electronics Engg.	3 Years
9	Mechanic Medical Electronics	2 years	Electronic Tele. comm/ Electronics.	3 Years
10	Information Technology & Electronics System Maintenance	2 year	Information Technology/ Electronics/Electronics & Tele Communication	3 Years
11	Fitter	2 years	Mechanical Engg./ Production Engg.	3 Years
12	Turner	2 years	Mechanical Engg./ Production Engg.	3 Years
13	Machinist (Composite)	2 years	Mechanical Engg./ Production Engg.	3 Years
14	Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures)	3 years	Mechanical Engg./Production Engg.	3 Years
15	Machinist (Grinder)	2 years	Mechanical Engg./ Production Engg.	3 Years
16	Electroplater	2 years	Electrical Engg.	3 Years
17	Instrument Mechanic	2 years	Electronics & Instrumentation Engg.	3 Years
18	Draughtsman (Mechanical)	2 years	Mechanical Engg./Production Engg.	3 Years
19	Mechanic (Motor Vehicle)	2 years	Mechanical Engg./ Automobile Engg.	3 Years
20	Mechanic (Refrigeration and Air-Conditioner)	2 years	Mechanical Engg./ Refrigeration & Air-condition Engg	3 Years
21	Apparel (Garmant	2 years(1 year BBBT +	Fashion Technology/	3 Years

S.No.	Trades in ITIs & ITCs		Course/Branch in Polytechnics	
	Making)	6Month Advanced Module + 6Months Speciliazed Module)	Textile Design/ Textile Technology	
22	Information Technology	Do	Information Technology / Computer Science	3 Years
23	Automobile	Do	Automobile Engg./Mechanical Engg.	3 Years
24	Production & Manufacturing	Do	Production Engg./Mechanical Engg.	3 Years
25	Electronics	Do	Electronics Engg./Electrical & Electronics Engg.	3 Years
26	Construction & Wood Working	Do	Civil Engg./ Architecture & Interior Design/ Architectural Assistantship	3 Years
27	Refrigeration & AC	Do	Mechanical Engg./Refrigeration & AC	3 Years
28	Fabrication (Fitting & Welding)	Do	Mechanical Engg./Production Engg.	3 Years
29	Electrical Sector	Do	Electrical Engg./Electrical & Electronics Engg.	3 Years
30	Agricultural Machinerics	Do	Mechanical Engg./Automobile Engg.	3 Years
31	Tourism	Do	Travel & Tourism	3 Years
32	Process Plant Maintenance	Do	Mechanical Engg./Production Engg.	3 Years
33	Wireman	2 years	Electrical Engg./	3 Years
34	Painter General	2 years	Architecture & Interior Design/Architectural Assistantship	3 Years

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH
TENTATIVE SEATS IN DIPLOMA (LATERAL ENTRY) COURSE FOR THE
SESSION 2018-19

S.No.	Inst_name	Branch	Intake
Government			
1	G.T. Govt Polytechnic College, Jaora	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
2	Government Polytechnic College, Datia	Electrical Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
3	Govt Polytechnic College, Dindori	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
4	Govt Polytechnic College, Rewa	Computer Hardware and Maintenance	12
		Electronics & Tele Communication	12
5	Govt Polytechnic College, Ujjain	Computer Science & Engg	12
		Construction Technology & Management	12
		Electrical Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Information Technology	12
		Mechanical Engg.	12
6	Govt. Polytechnic College, Alirajpur	Civil Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
7	Govt. Polytechnic College, Anuppur	Computer Science & Engg	12
		Electronics & Tele Communication	12
8	Govt. Polytechnic College, Ashoknagar	Civil Engg.	12
		Electrical Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Mechanical Engg.	12
9	Govt. Polytechnic College, Badwani	Civil Engg.	6
		Computer Hardware and Maintenance	6
		Computer Science & Engg	12
		Information Technology	6
		Refrigeration & Air-condition Engg	6
10	Govt. Polytechnic College, Balaghat	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
11	Govt. Polytechnic College, Betul	Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Mechanical Engg.	12
12	Govt. Polytechnic College, Dabra	Computer Science & Engg	12

		Electrical Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
13	Govt. Polytechnic College, Damoh	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Mechanical Engg.	12
14	Govt. Polytechnic College, Dewas	Electronics & Tele Communication	12
		Mechanical Engg.	12
15	Govt. Polytechnic College, Harda	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
16	Govt. Polytechnic College, Itarsi	Electronics & Tele Communication	12
		Mechanical Engg.	12
17	Govt. Polytechnic College, Jatara	Civil Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
18	Govt. Polytechnic College, Jawad	Electronics & Tele Communication	12
		Mechanical Engg.	12
19	Govt. Polytechnic College, Katni	Computer Science & Engg	12
		Mechanical Engg.	12
20	Govt. Polytechnic College, Khirsadoh	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Information Technology	12
		Mechanical Engg.	12
21	Govt. Polytechnic College, Khurai	Civil Engg.	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
22	Govt. Polytechnic College, Mandasaur	Computer Science & Engg	12
		Electronics & Tele Communication	12
23	Govt. Polytechnic College, Nasrullaganj	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
24	Govt. Polytechnic College, Pachore	Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
25	Govt. Polytechnic College, Pawai	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
26	Govt. Polytechnic College, Raghogarh	Computer Science & Engg	12
		Electronics & Instrumentation Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
27	Govt. Polytechnic College, Raisen	Civil Engg.	12

		Electrical Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Mechanical Engg.	12
28	Govt. Polytechnic College, Rajgarh	Civil Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
29	Govt. Polytechnic College, Sanawad	Automobile Engg.	6
		Civil Engg.	12
		Computer Hardware and Maintenance	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Mechanical Engg.	12
30	Govt. Polytechnic College, Satna	Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
31	Govt. Polytechnic College, Sendhwa	Civil Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
32	Govt. Polytechnic College, Seoni	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
33	Govt. Polytechnic College, Shahdol	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
34	Govt. Polytechnic College, Shajapur	Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
35	Govt. Polytechnic College, Sheopur	Computer Science & Engg	9
		Mechanical Engg.	9
36	Govt. Polytechnic College, Shivpuri	Computer Science & Engg	9
		Electronics & Tele Communication	9
37	Govt. Polytechnic College, Sidhi	Computer Science & Engg	12
		Electronics & Tele Communication	12
38	Govt. Polytechnic College, Sironj	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Mechanical Engg.	12
39	Govt. Polytechnic College, Tikamgarh	Computer Science & Engg	12
		Mechanical Engg.	12
40	Govt. Polytechnic College, Umaria	Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
41	Govt. Polytechnic College, Waidhan	Civil Engg.	9
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12

		Electronics & Tele Communication	12
		Mechanical Engg.	12
42	Kala Niketan Govt Polytechnic College, Jabalpur	Automobile Engg.	12
		Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	11
		Electrical Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Information Technology	11
		Mechanical Engg.	12
43	MJP Govt. Polytechnic College, Khandwa	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Mechanical Engg.	12
		Refrigeration & Air-condition Engg	12
Government [Ambedkar(BOYS)]			
1	Govt. Polytechnic College, Morena	Computer Science & Engg	2
		Electrical Engg.	2
		Electronics & Tele Communication	2
		Mechanical Engg.	2
Government [GIRLS]			
1	Government Womens Polytechnic College, Gwalior	Computer Science & Engg	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Information Technology	12
		Textile Design	12
2	Govt. Womens Polytechnic College, Bhopal	Architecture & Interior Design	12
		Computer Science & Engg	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Fashion Technology	12
3	Govt. Womens Polytechnic College, Jabalpur	Computer Science & Engg	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Fashion Technology	12
		Travel & Tourism	6
Government [Special Co-Ed]			
1	Govt Polytechnic College, Bind [Special Co-Ed]	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
2	Govt Polytechnic College, Sagar [Special Co-Ed]	Fashion Technology	12
3	Govt. Polytechnic College, Khargone [Special Co-Ed]	Fashion Technology	12
		Computer Science & Engg	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Information Technology	12
4	Govt. Polytechnic College, Panna [Special Co-Ed]	Computer Science & Engg	12
5	Govt. Womens Polytechnic College, Sagar [Special Co-Ed]	Architecture & Interior Design	12
		Computer Science & Engg	12

		Electronics & Tele Communication	12
6	Indira Gandhi Govt Polytechnic College, Chhindwara [Special Co-Ed]	Computer Science & Engg	12
7	Jija Mata Govt. Polytechnic College, Burhanpur [Special Co-Ed]	Civil Engg.	6
		Computer Science & Engg	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Fashion Technology	12
		Mechanical Engg.	6
8	V.M. Govt. Polytechnic College, Narsinghpur [Special Co-Ed]	Travel & Tourism	8
		Computer Science & Engg	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Fashion Technology	12
Government Aided			
1	SATI (Polytechnic), Vidisha	Automobile Engg.	12
		Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Information Technology	12
		Mechanical Engg.	12
2	Shri Vaishnav Polytechnic College, Indore	Automobile Engg.	6
		Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Mechanical Engg.	12
		Production Engg.	12
		Textile Technology	12
Government Autonomous			
1	Dr. B.R.A. Govt Polytechnic College, Gwalior	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Information Technology	12
		Mechanical Engg.	12
		Textile Technology	12
2	Govt Polytechnic College, Dhar	Computer Science & Engg	12
		Information Technology	12
3	Govt Polytechnic College, Nowgong	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Mechanical Engg.	12
4	S.V. Polytechnic College, Bhopal	Architectural Assistantship	12
		Civil Engg.	12

		Computer Science & Engg	11
		Construction Technology & Management	12
		Electrical Engg.	13
		Electronics & Tele Communication	13
		Information Technology	11
		Mechanical Engg.	12
		Production Engg.	12
Government Autonomous[GIRLS]			
1	Govt. Womens Polytechnic College, Indore	Architecture & Interior Design	12
		Computer Science & Engg	12
		Fashion Technology	12
Self Financing			
1	Univesity Polytechnic College, RGPV, Bhopal	Civil Engg.	12
		Electrical Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Mechanical Engg.	12
PRIVATE			
1	Acropolis Institute of Technology & Research, Indore (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
2	Acropolis Technical Campus, Indore (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
3	Aditya College of Technology & Science, Satna (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
4	Alpine Institute of Technology, Ujjain (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
5	Astral Institute of Technology & Research, Indore (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
6	Babulal Tarabai Institute of Research & Technology, Sagar (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
7	Bhabha Engineering Research Institute, Bhopal (SECOND SHIFT)	Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
8	BM College of Technology, Indore (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
9	Girdhar Siksha Evam Samaj Kalyan Samiti Group of Institutions, Mandideep, Raisen (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
10	Global Institute of Engineering & Science, Barwani (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
11	Global Nature Care Sangathan's Group of Institutions, Jabalpur (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
12	Gyan Sagar College of Engineering, Sagar (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGG.	12
13	Gyanodaya College of Excellence (Poly), Neemuch	Civil Engg.	12
		Electrical Engg.	12

		Mechanical Engg.	12
14	Ideal Institute of Information Technology Management, Gwalior	Civil Engg.	24
		Mechanical Engg.	24
15	IES College of Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	24
16	IES Institute of Technology & Management, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Electrical Engg.	12
17	Infinity Management & Engineering College, Sagar (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
18	ITM GROUP OF INSTITUTIONS (Technical Campus), Gwalior (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
19	Jawaharlal Institute of Technology, Borawan, Khargone (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	24
		ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGG.	12
		Mechanical Engg.	12
20	Jawaharlal Nehru College of Technology, Rewa (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGG.	12
		Mechanical Engg.	24
21	Jaypee Polytechnic & Training Centre, Rewa	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	8
		Electronics & Tele Communication	8
		Mechanical Engg.	8
22	Kopal Institute of Science & Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
23	Lakshmi Narain College of Technology & Science, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
24	Lakshmi Narain College of Technology, Jabalpur (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
25	Laxman Seth Polytechnic College, Dinara, Tehsil-Karera, Shivpuri	Automobile Engg.	12
		Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
26	Laxmipati Institute of Science & Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
27	Mahakal Institute of Technology, Ujjain (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
28	Malwa Institute of Science & Technology, Indore (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Mechanical Engg.	12
29	Malwa Institute of Technology & Management, Gwalior (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12

30	Malwa Institute of Technology, Indore (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
31	Manthan Polytechnic College, Sehore	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Electronics & Tele Communication	12
		Mechanical Engg.	12
32	Millenium Institute of Technology and Science, Bhopal (SECOND SHIFT)	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGG.	12
		Mechanical Engg.	12
33	Millenium Institute of Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
34	Mittal Institute of Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	Mechanical Engg.	12
35	NRI Institute of Research & Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	Mechanical Engg.	12
36	Ojaswini Institute of Management & Technology, Damoh (SECOND SHIFT)	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGG.	12
		Mechanical Engg.	12
37	Oriental Engineering College (Polytechnic), Jabalpur	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGG.	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
38	Oriental Institute of Science & Technology, Jabalpur (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
39	Patel Group of Institutions (Patel College of Science & Technology), Indore (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Information Technology	12
		Mechanical Engg.	12
40	Patel Group of Institutions (Patel Institute of Engineering & Science, Bhopal) (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
41	Patel Group of Institutions (Patel Institute of Technology, Bhopal) (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Electrical Engg.	12
42	Prestige Institute of Engineering Management and Research, Indore (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	24
43	Priyatam Institute of Technology, & Management, Indore (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	6
		Mechanical Engg.	6
44	Radharaman Engineering College, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	24
		ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGG.	12
		Mechanical Engg.	12
45	Radhaswami Institute of Technology, Jabalpur (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
46	Rajeev Gandhi Prodyogiki Mahavidhyalaya, Bhopal	Civil Engg.	12

	(SECOND SHIFT)	Mechanical Engg.	12
47	Rajeev Gandhi Proudyogiki Mahavidhyalaya-2, Bhopal (2007) (SECOND SHIFT)	Computer Science & Engg	12
48	RAMNATH SINGH INST OF Technology & Science, GWALIOR	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Information Technology	12
		Mechanical Engg.	12
49	RKDF College of Technology, Jatkhedhi, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
50	Royal College of Technology, Ratlam	Civil Engg.	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
51	Sagar Institute of Research & Technology - Excellence, Bhopal (2008) (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	24
		Mechanical Engg.	24
52	SAM College of Engineering & Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGG.	12
		Mechanical Engg.	12
53	Saraswati Institute of Engineering & Technology, Jabalpur (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGG.	12
		Mechanical Engg.	12
54	Sardar Patel College of Technology, Balaghat (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
55	Sardar Patel Polytechnic College, Balaghat	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
56	Sardar Patel Polytechnic College, Mandleshwar, Khargone	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
57	Scope College of Engineering Bhopal (SECOND SHIFT)	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGG.	12
		Mechanical Engg.	12
58	Shiv Kumar Singh Institute of Technology & Science, Indore (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
59	Shri Balaji Institute of Technology & Management, Betul (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
60	Shri Ram College of Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGG.	12
		Mechanical Engg.	12
61	Shri Rama Krishna College of Polytechnic and Management, Karhi Kohar, Satna	Civil Engg.	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12

		Mechanical Engg.	12
62	Shri Rawatpura Sarkar Polytechnic, Chitrakoot, Satna	Civil Engg.	24
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	24
63	Sri Aurobindo Institute of Technology, Indore (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
64	St. Aloysius Institute of Technology, Jabalpur (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
65	Swami Vivekanand College of Engineering, Indore (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
66	Takshshila Institute of Engineering & Technology, Jabalpur (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGG.	12
		Mechanical Engg.	24
67	Technocrats Institute of Technology & Science, Bhopal (SECOND SHIFT)	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGG.	12
		Mechanical Engg.	12
68	Thakur Shiv Kumar Singh Memorial Polytechnic College, Burhanpur	Civil Engg.	12
		Computer Hardware and Maintenance	12
		Computer Science & Engg	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
69	THE VITS Polytechnic, Amoudha, Satna	Civil Engg.	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
70	Trinity Institute of Technology & Research, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGG.	12
		Mechanical Engg.	24
71	Vidhyapeeth Institute of Science & Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGG.	12
		Mechanical Engg.	12
72	Vikrant Institute of Technology & Management Indore (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGG.	12
		Mechanical Engg.	24
		Civil Engg.	12
		Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	24
73	Vindhya Institute of Technology & Science, Indore (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGG.	12
		Mechanical Engg.	24
74	Vindhya Institute of Technology & Science, Jabalpur (SECOND SHIFT)	Civil Engg.	12
		Mechanical Engg.	12
75	Vindhya Institute of Technology & Science, Satna (SECOND SHIFT)	Electrical Engg.	12
		Mechanical Engg.	12

NOTE: ADDITION/DELETION OF INSTITUTIONS AND INTAKE CAPACITY MAY TAKE PLACE AT THE TIME OF COUNSELING AS PER THE APPROVAL OF AICTE